न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र0 R 3960-I-16 सन् 2016

1. रतन तनय सूरा साहू
2. लक्ष्मन तनय सूरा साहू
3. लखन तनय सूरा साहू
4. राममिलन तनय सूरा साहू
5. प्यारीबाई पत्नी रामप्रकाश अहिरवार

समस्त निवासीगण ग्राम पहरापुरवा ,
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 .....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. बाबूलाल तनय मुतिया साहू
2. सीताराम तनय मुतिया साहू
3. जगदीश तनय मुतिया साहू
4. परसराम तनय नवला साहू

निवासीगण ग्राम पहरापुरवा, तहसील राजनगर

5. भागवत तनय सूरा साहू

निवासी ग्राम पहरापुरवा, तहसील राजनगर
हाल निवासी ग्राम भिंयाताल, तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ..... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के अपील प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 से दुखी होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करते है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि ग्राम पहरापुरवा तहसील राजनगर की भूमि खसरा नंबर 285 रकवा 2.144 हे0 भूमि का खाता निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता के सामलाती खाते की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3960-एक/2016 जिला छतरपुर रतन विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

10.01.2019

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.2019
सदस्य